मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं0 2 मुजफ्फरनगर।